

कानपुर विकास प्राधिकरण

संक्षिप्त विवरण :

कानपुर महानगर प्रदेश का ही नहीं अपितु उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह नगर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। किसी समय में इसे देश का मानचेस्टर कहा जाता था। कानपुर का नगरीय क्षेत्रफल 260 वर्ग कि०मी० में फैला हुआ है जिसके अन्तर्गत कानपुर नगर निगम, कैंटूनमेण्ट, अर्मापुर स्टेट आदि के क्षेत्र सम्मिलित हैं। उत्तर की ओर छोड़कर प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाये विभिन्न दिशाओं में नगर निगम की सीमा से 8 कि०मी आगे तक विस्तारित है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कानपुर नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त कानपुर के 210 गांव, कानपुर देहात की बिल्हौर एवं अकबरपुर तहसीलों के क्रमशः 11 व 16 गांव तथा उन्नाव जिले के 85 गांव सम्मिलित हैं। विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कुल 829.04 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र सम्मिलित है। उद्योगों के विकास के साथ ही ग्रामीण अंचल की जनता नगर की ओर उन्मुक्त हुई है, जिससे इस शहर की आबादी लगभग 40 लाख से भी अधिक हो गई है। इस आबादी का अधिकांश भाग श्रमिक वर्ग का है। इस बढ़ती आबादी की सबसे बड़ी समस्या आवास की थी। शहर में इतने आवास उपलब्ध नहीं थे । इस कारण अल्प वेतन भोगी कल कारखानों के मजदूरों आदि को नगर के बड़े भवनों के साथ निजी या सरकारी भूमि पर और वहीं पर बने कच्चे पक्के मूलभूत सुविधाविहीन आवासों तथा सुविधाहीन अहातों व मलिन बस्तियों में शरण लेनी पडती थी फलरूपरूप दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के कारण कालान्तर में इन अहातों की मलिन बस्तियों में नागरिकों का जीना दुष्वार हो गया।

इस शहर में वर्ष 1945 तक आवास निर्माण एवं विकास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। वर्ष 1945 से आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिये डेवलपमेण्ट बोर्ड ने कार्य प्रारम्भ किया तथा वर्ष 1960 में नगर महापालिका के गठन के पश्चात इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन नगर महापालिका द्वारा किया जाता रहा। नगर के समुचित विकास एवं नागरिकों की आवास समस्याओं के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की संरचना कर शासकीय विज्ञप्ति सं०-3923/37-2(डी.ए.)/72 दिनांक 11.09.74 तथा विज्ञप्ति दिनांक 05.05.75 द्वारा कानपुर नगर के सुनियोजित विकास हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण का उद्देश्य :-

प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र के विकास को नियोजन के अनुरूप प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकरण को निर्माण, अभियंत्रण, खनन और अन्य कार्यवाहियों को संचालित करने हेतु, जल और विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य को निष्पादित करने हेतु, मलमूत्र का निस्तारण करने हेतु तथा अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु तथा ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे सम्बन्धित आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य करने हेतु भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को अधिगृहीत करना, धारित करना, प्रबंध करना और निस्तारण करना।

प्राधिकरण के कार्य :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-7 के अनुसार प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र योजना अनुसार विकसित करना है।

1. क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर बाह्य एवं आंतरिक सडकों का निर्माण एवं जल निकासी।
2. पेयजल व्यवस्था।
3. विद्युतीकरण।
4. मल-निकासी।
5. आक्सीडेशन पॉण्ड एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना।
6. उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण।
7. पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, बैंक आदि की व्यवस्था।
8. समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण प्रदान करना।

कानपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1974 के अन्त से कार्य प्रारम्भ किया और सभी सेवा कार्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्राधिकरण की इस प्रगति हेतु जो जन सहयोग प्राप्त हुआ इससे जहां जनोपयोगी कार्यों के विस्तार व संचालन में सहायता मिली, वहीं वह अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता का भी पूर्ण उपयोग कर सकने में समर्थ हुआ। इसका परिणाम है कि आज प्राधिकरण विभिन्न आवासीय व अन्य योजनाओं का संचालन हडको व राज्य सरकार से प्राप्त ऋण व निजी वित्तीय

श्रोतों से नगर का सुनियोजित विकास कर रहा है तथा नगर के सभी वर्गों के लिये पूर्ण सुविधायुक्त आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध करा रहा है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत आवास दुर्बल आय वर्ग हेतु हैं। प्राधिकरण वर्तमान में आवासीय एवं मलिन बस्ती उन्नयन का कार्य भी सफलतापूर्वक संपादित कर जनता को लाभान्वित कर रहा है।

कानपुर विकास प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार है:-

1.	आयुक्त कानपुर मण्डल	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष/सदस्य
3.	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	नामित सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, केस्को	सदस्य
5.	जिलाधिकारी, कानपुर नगर	सदस्य
6.	जिलाधिकारी, कानपुर देहात	सदस्य
7.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
8.	नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम	सदस्य
9.	संयुक्त निदेशक, कोषागार कानपुर नगर, नामित सदस्य(वित्त सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य
10.	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, कानपुर नगर	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर	सदस्य
12.	श्री प्रदीप तिवारी	नामित सदस्य
17.	श्री महेन्द्र सिंह यादव	नामित सदस्य
18.	श्री साहेब आलम उर्फ सोनू	नामित सदस्य
19.	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	विशेष आमंत्रि
20.	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रि

आय व्यय का विवरण:-

प्राधिकरण की वर्ष 2012-13 में विभिन्न मदों से कुल आय रु0 42578.48 लाख की हुई। इस आय के विरुद्ध भूमि विकास, भूमि प्रतिकर, निर्माण / विकास कार्य, ऋण एवं ब्याज भुगतान, पंजीकरण धनराशि वापसी, अधिष्ठान व्यय इत्यादि पर कुल रु0 21454.69 लाख का व्यय हुआ।

भू-अर्जन:-

जनपद उन्नाव के 9 ग्राम की लगभग 1960.48 हेक्टेअर भूमि में गंगोत्री आवासीय योजना प्रस्तावित है, जिसके अर्जन हेतु धारा-4 के लिये धनराशि आरक्षित की जानी है। माती के लिये भी भूमि अर्जन हेतु धारा-4 के पूर्व विदित धनराशि हेतु प्रस्ताव किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को अपनी योजनाओं(हाईवे सिटी, मंथन भौती बाईपास आदि) के कार्यान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2013-14 में 30,000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का विवरण

अभियन्त्रण खण्ड जोन-1

1.आशियाना आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत 352 चार मंजिले उच्च आय वर्ग के भवनों का निर्माण कराया जाना था। जिसमें 256 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इन भवनों का रजिस्ट्री उपरान्त मौके पर कब्जा दिया जा रहा है। 96 भवनों के निर्माण स्थल पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन समाप्त होते ही भवनों का निर्माण शीघ्र कराया जा सकेगा। इस योजना का विकास कार्य जैसे पार्क,पार्किंग,पेयजल व्यवस्था,सीवर संयोजन ,ओवर हैड टैंक, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

2.मान्यवर श्री काशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण के भवनों के अन्तर्गत 2000 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भवनों का निर्माण कार्य जून 2013 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

3. जोन-1 के अन्तर्गत विभिन्न मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव

किया गया है। जिसे इसी वित्तीय वर्ष में करा लिया जायेगा।

4. जोन-1 के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को जैसे उस्मानपुर,वाजिदपुर ,तथा

बी.एस.यू.पी. योजना को अवशेष विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

5.रैन वाटर हारवेस्टिंग

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण के भवनों में रैनवाटर हारवेस्टिंग का कार्य प्रस्तावित है। जिसे वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त में पूर्ण करा लिया जायेगा।

6. जाजमऊ के अन्तर्गत आशियाना योजना के स्थगन आदेश से प्रभावी स्थल का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। स्थगन आदेश के समाप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

7. कैनाल पटरी योजना में प्रस्तावित विकास कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

8. महर्षि दयानन्द बिहार फेस-1 के एक्सटेन्शन योजना को जोड़ने हेतु सी0सी0 रोड का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
9. अभियन्त्रण खण्ड जोन-1 के अन्तर्गत विभिन्न कालोनियों का नगर निगम व जल संस्थान को हस्तान्तरण किया जाना है जो कार्यवाही की प्रक्रिया में है। शीघ्र ही नगर निगम व जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
10. महर्षि दयानन्द बिहार फेस-1 का विकास कार्य 30 जून 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
11. गंगोत्री आवास योजना हेतु प्रस्तावित कार्य को 31 मार्च 2014 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
12. सिंहपुर मैनावती मार्ग पर अग्रिहित भूमि पर न्यू कानपुर सिटी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
13. अभियन्त्रण खण्ड जोन-1 के अन्तर्गत स्थित पार्को का विकास कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
14. जाजमऊ प्रवेश मार्ग का सौन्दर्यीकरण का विकास कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन.एच.ए.आई. द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उनके कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शहर के अन्दर प्रवेश हेतु सड़क के दोनो ओर शीघ्र ही सुन्दरीकरण का कार्य कराया जायेगा।
15. जाजमऊ सी गज्जू पुरवा कानपुर में सड़क व सीवर तथा पानी का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। कार्य 30 जून 2014 तक करा लिया जायेगा।
16. बिनुआपुर इन्द्रा नगर के प्रस्तावित विकास कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
17. महर्षि दयानन्द बिहार फेस-1 में सड़क, नाली आदि विकास कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
18. बुद्धा पार्क में (मकड़ी खेड़ा) सड़क का निर्माण कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
19. सिंहपुर मैनावती मार्ग पर (वाटर पार्क) के बगल का निर्माण कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
20. बिदूर रोड पर स्थित सुरजा देवी स्कूल के बगल में लगभग 8000 वर्गमी0 भूमि पर ग्रुप हाउसिंग योजना का निर्माण एवं विकास कार्य प्रस्तावित है। जिसको पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर 2015 तक सम्भावित है।

21. बिदूर रोड़ पर महर्षि दयानन्द बिहार योजना की रिक्त भूमि लगभग 13500 वर्गमी भूमि पर ग्रुप हाउसिंग योजना का निर्माण एवं विकास कार्य को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

22. कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मदारपुर व बरसाइतपुर में कराये गये विकास कार्य को मई 2013 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

23. जोन-1 के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर कानपुर विकास प्राधिकरण की रिक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य का आगणन तैयार कर दिया गया है। जो स्वीकृत की प्रक्रिया में है।

अभियन्त्रण खण्ड जोन-2

विकास कार्य

1-जवाहरपुरम योजना

योजना 14 सैक्टरों में विभक्त है। योजना के सभी 10 मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष ट्रंक सीवर लाइन एवं मुख्य नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के मुख्य द्वार पर प्रवेश द्वार का निर्माण एवं 04 शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष सैक्टर-1 का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 2000 कि०मी० क्षमता के शिरोपरि जलाशय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सैक्टर 2,3,4,5 व 14 में विकास कार्य कराया जा चुका है। अभी तक लगभग 28 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण द्वारा व्यय की जा चुकी है।

2-शताब्दी नगर फेस-4

कार्य की लागत धनराशि रू० 368.79 लाख है। विकास कार्यों के अन्तर्गत वर्तमान में सड़क सीवर,, पानी की लाइन एवं नाले का कार्य कराया जा रहा है। अभी तक स्थल पर कुल 123.94 लाख का कार्य कराया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।

3. मा० मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के कार्य

कल्याणपुर विधान सभा के 08 ग्रामों गम्भीरपुर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, विनायकपुर, काकादेव, गड़ेरियनपुरवा (पावर हाउस), मिर्जापुर एवं कपिली का विकास कार्य कराया जा रहा है, जिसमें धनांक रू० 764.59 लाख का व्यय प्रस्तावित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

4. अवस्थापना निधि (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यासित)

रतनपुर योजना में सड़कों के सृष्टीकरण पर धनांक रू० 340.00 लाख एवं रजीत नगर गुरुद्वारे के सामने सड़क निर्माण कार्य पर धनांक रू० 55.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

5. शताब्दी नगर फेज-5

शताब्दी नगर फेज-5 का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर धनांक रू0 200.00 लाख का बजट प्राविधान है।

अभियन्त्रण खण्ड (जोन-3)

1-तात्याटोपे नगर

इस योजना में यू0पी0यू0डी0पी0 बर्गा-8 एवं तात्याटोपे नगर के मध्य स्थित नाले पर पुल का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 से कराया जाना प्रस्तावित है।

2- व्यापार नगर (इस्पात नगर) भाग-2 योजना:-

यह योजना प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित इस्पात नगर योजना की दक्षिण दिशा में पान्दु नदी तथा पूर्व निर्मित इस्पात नगर योजना के मध्य की भूमि पर स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल-12.66 हेक्टेयर है। योजना में विकास कार्यो पर लगभग रू0-1300 लाख का व्यय प्रस्तावित है। योजना के पाकेट ए के विकास कार्य लगभग पूर्ण है। वर्तमान में पाकेट बी व पाकेट सी के विकास कार्यो के अन्तर्गत सड़क,नाली,सीवर,वाटर लाइन आदि के विकास कार्य प्रगति पर है। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के 494 भूखण्ड विकसित किये जा रहे है।

3-बर्गा आवासीय योजना-

इस योजना में हाइड्रिल कालोनी में प्राधिकरण की भूमि पर 26 भूखण्डों को विकसित करने हेतु विकास कार्य प्रगति पर है।

4-खाण्डेपुर आवासीय योजना-

इस आवासीय योजना में ई0डब्लू0एस0 भवनों के मध्य सड़क एवं नाली की मरम्मत आदि का कार्य प्रगति पर है।

5-डब्लू-2 जूही एवं जूही-

जूही में थाने के पीछे प्राधिकरण की भूमि पर 26 भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है एवं डब्लू-2 जूही (केशव नगर) में 16 भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है।

6-पनकी भाऊ सिंह (कालपी नगर) योजना-

यह योजना राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या दो एवं कालपी रोड के जंक्शन पर स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल-5.90 हेक्टेयर है। वर्तमान में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में ट्रान्सपोर्टस द्वारा मांगी गई भूमि से कम भूमि उपलब्ध होने के कारण उक्त योजना की भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर के एक्सटेंशन किये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त उक्त योजना के क्रियान्वन की कार्यवाही की जायेगी।

7-पनकी ए ब्लॉक (औद्योगिक) की सड़को एवं नालियो का निर्माण-

इस योजना में कुल 33 औद्योगिक भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है। यहां पर उल्लेखनीय है कि कुछ बड़े भूखण्ड विक्रय न होने के कारण उनको छोटे-2 लगभग 1000 वर्ग मी0 के भूखण्डों में पुर्ननियोजित करते हुए ले-आउट संशोधित किया गया है। संशोधित ले-आउट के अनुसार विकास कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

8-ट्रान्सपोर्ट नगर भाग-3:-

यह योजना ग्राम पनकी भाऊ सिंह की जमीन पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या दो एवं कालपी रोड के मध्य स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल -23.00 हेक्टेयर है। योजना के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार विकास कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

9- न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर भाग-1

यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल-30.92 हेक्टेयर है। वर्तमान में 12.66 हेक्टेयर में विकास कार्य लगभग पूर्ण है। शेष 18.24 हेक्टेयर में किसानों का एक्सग्रेंशिया विवाद होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित है। अब तक 199 भूखण्ड विकसित किये जा चुके हैं। उक्त योजना के विकास कार्यों पर 3210 लाख का व्यय सम्भावित है। जिसमें से 1445 लाख व्यय किया जा चुका है।

10-यू0पी0यू0डी0पी0 बर्रा:-

बर्रा यू0पी0यू0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्डों के विकास कार्य हेतु रू0-156.71 लाख की कार्य योजना प्रस्तावित है। विकास कार्य कराये जाने हेतु निविदा हो चुकी है।

11-न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर भाग-2 का विकास कार्य:-

यह योजना बाई पास व पान्डू नदी के मध्य Solid waste management के लिये A to Z को दी गई भूमि से पूर्व दिशा में स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर है। इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2013-2014 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

12-प्रस्तावित मौरग मंडी के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य-

प्राधिकरण बोर्ड की 107 वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अभियन्त्रण खण्ड जोन-4

1. स्वर्ण जयन्ती बिहार विस्तार पार्ट-2

यह योजना बाईपास से लगभग 1.00 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, जो 8.15 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रकार की योजना विकसित किया जाना है।

2-चन्द्र नगरी पार्ट-3

योजना का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। जिसमें धनांक रू० 126.00 लाख से 55 एल०आई०जी० एवं 55 ई०डब्लू०एस० भूखण्डों का विकास किया जा रहा है।

3-चकरी लाइट इण्डस्ट्री एवं सेंट्रल फक्शन क्षेत्र

यह योजना इलाहाबाद हाइवे पर स्थित है। इस योजना का कुल क्षेत्रफल 18.04 हेक्टेयर है। जिसमें से 52 लाइट इण्डस्ट्री के एवं 8 सेंट्रल फक्शन यूज के भूखण्ड विकसित किये जा रहे हैं। विकास कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 40 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में इस योजना में रू० 644.00 लाख के कार्य प्रगति में है।

4- ग्राम नगवा, सतवरी आदि की 124 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य

यह योजना हाइवे से लगभग 3.00 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। जिस पर एल०आई०जी०, एम०आई०जी०, ई०डब्लू०एस० आदि के विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

5- हाईवेसिटी योजना :-

बाईपास के समीप सनिगवॉ रोड पर कानपुर इलाहाबाद रेलवे लाइन के किनारे 52.80 हेक्टेयर भूमि पर रू0 5793.00 लाख की लागत से योजना का विकास किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार एवं क्षेत्रफल के सृजन किया जाना है। जिसमें लगभग 680 भूखण्डों का आवंटन उपरान्त लगभग 175 आवासीय भूखण्डों का कब्जा दिया जा चुका है। उक्त योजना में अभी तक 2665.26 लाख का व्यय किया जा चुका है।

6-हाईवेसिटी विस्तार योजना

हाईवे सिटी योजना से लगी 70.90 हैक्टेयर भूमि पर हाईवे सिटी विस्तार योजना विकसित की जा रही है। योजना में 2.50 कि०मी० लम्बी चक्रेरी तक जाने वाली सड़क का निर्माण कराया जा रहा है तथा 15 एम०एल०डी० के० आई०पी०एस० का निर्माण शीघ्र प्रस्तावित है। योजना के 210 भूखण्डों का पंजीकरण खोला जा चुका है। योजना को विकसित करने में कुल रू0 14835.00 लाख व्यय अनुमानित है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 2100.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

7-चन्द्रनगरी (सनिगवॉ)

योजना का क्षेत्रफल 1.05 हैक्टेयर है। योजना में 180 ई०डब्लू०एस० भूखण्ड विकसित किये जा रहे हैं, जिसके लिये बजट में धनांक रू0 22.00 लाख का प्राविधान है। भूखण्डों का आवंटन हो चुका है। आवासीय भूमि दर रू0 9500.00 प्रति वर्गमीटर है।

पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत लोक शिकायतों का समयबद्ध समाधान

1. पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जनता की सुविधा हेतु वेबसाइट www.kdaindia.co.in चलित की गयी है। वेबसाइट पर नई योजनाओं की जानकारी, मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया, सम्पत्तियों का विवरण, रिफण्ड की स्थिति, आवंटियों द्वारा सम्पत्तियों के विरुद्ध जमा व बकाया धनराशि की जानकारी व निविदाओं आदि की सूचनाएं उपलब्ध है। जनता अपनी समस्या/सुझाव हेतु response@kdaindia.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
2. लोक सूचना अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण में लोक सूचना कार्यालय का गठन किया गया है तथा कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर वांछित सूचनाएँ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. वर्षों से अपूर्ण डिमाण्ड एवं कलेक्शन रजिस्ट्रों को पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी, आवंटित सम्पत्तियों का विवरण, आवंटन एवं रिफण्ड आदि सम्बन्धी सूचनाओं का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।
4. अब जनता का प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से अपनी समस्याओं एवं सुझावों हेतु सीधा सम्पर्क, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक जन समस्या समाधान शिविर में उपाध्यक्ष सहित समस्त विभागीय अधिकारी एक साथ बैठ कर जनता से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध अनुश्रवण एवं निस्तारण करते हैं।

**आय-व्ययक एक दृष्टि में
वित्तीय वर्ष 2013-2014**

(रु० लाख में)

मद	वास्तविक 11-12	बजट अनुमान 12-13	वास्तविक 12-13	प्रस्तावित बजट अनुमान 2013-14
क. प्रारम्भिक अवशेष	46595.33	58916.25	58916.25	80040.04
ख. प्राप्तियाँ :				
1. राजस्व प्राप्तियाँ	18498.08	11117.00	23869.92	20103.00
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	19784.17	23928.00	18708.56	20129.00
3. ऋण/अग्रिम	0.00	20000.00	0.00	1.00
कुल प्राप्तियाँ	38282.25	55045.00	42578.48	40233.00
योग (क+ख)	84877.58	113961.25	101494.73	120273.04
ग. व्यय :				
1. राजस्व व्यय	13991.48	8292.00	10707.37	16187.00
2. पूँजीगत व्यय	11969.85	55148.00	10685.22	68748.00
3. ऋण/अग्रिम	0.00	2.00	62.10	2.00
कुल व्यय (ग)	25961.33	63442.00	21454.69	84937.00
घ. अन्तिम अवशेष	58916.25	50519.25	80040.04	35336.04
योग (ग+घ)	84877.58	113961.25	101494.73	120273.04

वित्त नियंत्रक

सचिव

उपाध्यक्ष

कानपुर विकास प्राधिकरण प्राप्तियों के मुख्य प्रस्तावों पर टिप्पणी

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित अनुमान कुल रू0 55045.00 लाख की अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष रू0 42578.48 लाख की प्राप्ति हुई है, जो बजट अनुमान से लगभग 77.35 प्रतिशत हैं। यह प्राप्तियां पुरानी सम्पत्तियों के विक्रय, निबन्धन तथा व्यवसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर प्राप्त की गयीं। उक्त प्रस्तावित अनुमान में मन्धना भौती बाईपास हेतु रू0 20,000.00 लाख के ऋण लिया जाना प्रस्तावित था, जो आवश्यकता न होने के कारण प्राप्त नहीं किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु विक्रय एवं निबन्धन हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों के दृष्टिगत रू0 40233.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है:-

राजस्व प्राप्तियां

1 किराया :-

1.1 लीज किराया।

प्राधिकरण के आवंटियों द्वारा सम्पत्तियों के फ्री-होल्ड किये जाने वाले 12 प्रतिशत शुल्क में 10 प्रतिशत भाग एक मुश्त लीज किराये का होता है, गत वर्ष 2012-13 में रू0 600.00 लाख के प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 505.14 लाख की प्राप्ति हुयी। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इस मद में रू0 500.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

1.2 फ्री-होल्ड शुल्क।

प्राधिकरण के आवंटियों द्वारा सम्पत्तियों के फ्री-होल्ड किये जाने वाले 12 प्रतिशत शुल्क में 2 प्रतिशत भाग फ्री-होल्ड शुल्क शामिल होता है। गत वर्ष 2012-13 में रू0 120.00 लाख के प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 87.04 लाख की प्राप्ति हुयी। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इस मद में रू0 130.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

1.3 भवनों/दुकानों का किराया

विभिन्न पुरानी योजनाओं में 8423 आवासीय भवनों तथा 106 व्यवसायिक दुकानें/कार्यालय किराये पर आवंटित किये गये हैं। शासनादेश संख्या-2798/9-अ-5-93-8मिस/86 दिनांक 16.06.1993 के अनुसार किराये की सम्पत्तियों को विक्रय किया जाना है। वर्ष 2012-13 में किये गये प्राविधान रू0 250.00 लाख के सापेक्ष रू0 303.47 लाख की प्राप्ति हुयी। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 250.00 लाख की प्राप्ति होने का अनुमान है।

2 स्टाम्प ड्यूटी से आय :-

निबन्धन कार्यालय द्वारा सम्पत्तियों के निबन्धन में 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी से प्राधिकरण अंश के रूप में प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये इस मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1400.00 लाख के सापेक्ष रू0 2544.00 लाख की प्राप्ति हुयी। गत अवधि के देयकों की धनराशि के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 2000.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

3 ब्याज से आय :-

3.1 भूखण्डों/भवनों की किश्तों पर दण्ड ब्याज से आय :

इस उप लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आवंटियों द्वारा विलम्ब से देय किश्तों का भुगतान किये जाने पर उनसे लिये जाने वाले दण्ड ब्याज की धनराशि दर्शायी जाती है। वर्ष 2012-13 में किये गये प्राविधान रू0 95.00 लाख के सापेक्ष रू0 119.73 लाख की प्राप्ति हुयी। निबन्धन एवं भुगतान हेतु लम्बित सम्पत्तियों के दृष्टिगत वर्ष 2013-14 हेतु इस मद में रू0 120.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3.2 विनियोगों के ब्याज से :

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैंको में विनियोग किये जाते हैं। उनसे मिलने वाली ब्याज की धनराशि को इस मद के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। वर्ष 2012-13 में किये गये प्राविधान रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 4363.21 लाख की प्राप्ति हुई। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 2000.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

4 भवन विभाग की मदों से आय :-

- मानचित्र शुल्क
- शमन शुल्क
- लाइसेन्स फीस
- मलवा शुल्क(प्राधिकरण अंश)
- अन्य शुल्क(नकल, पर्यवेक्षण, सुदृढीकरण, उपविभाजन शुल्क आदि)
- विकास शुल्क
- सेस

प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों/दुकानों/व्यवसायिक केन्द्रों के मानचित्र स्वीकृत कराने, बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कराये गये निर्माण के नियमानुसार शमन करने, मानचित्रों को बनाने हेतु वास्तुविद आदि को लाइसेंस दिये जाने, प्राइवेट कालोनियों के विकास कार्यों हेतु पर्यवेक्षण/विकास शुल्क, भूखण्ड का नियमानुसार उपविभाजन कराने पर प्राप्त होने वाला शुल्क तथा भवन निर्माण के समय सड़क पर मलवा डाले जाने के फलस्वरूप मलवा शुल्क एवं शासनादेश के अनुसार श्रम विभाग को देय सेस की वसूली से प्राप्त होने वाली धनराशि को सम्मिलित करते हुये वर्ष 2012-13 हेतु रू0 3551.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 3852.05 लाख की प्राप्त धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2013-14 हेतु रू0 4921.00 लाख की राजस्व प्राप्ति का प्राविधान किया गया है।

5 विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री से आय :-

इस मद के अन्तर्गत भवनों/भूखण्डों आदि के पंजीकरण आवेदन पत्रों, निविदा प्रपत्र, साइट प्लान, मास्टर प्लान, मानचित्र, मानचित्र एवं रजिस्ट्री प्रपत्रों आदि के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि को दर्शाया जाता है। वर्ष 2012-13 हेतु किये गये प्रस्तावित प्राविधान रू0 50.00 लाख के सापेक्ष रू0 88.91 लाख की प्राप्ति हुयी है। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 100.00 लाख की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

6 आवंटन निरस्त कराने अथवा परित्याग पर जमा धनराशि की वापसी पर की जाने वाली कटौती से आय :-

आवंटित सम्पत्तियों के परित्याग अथवा निरस्तीकरण पर प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण धनराशि पर नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जाती है। इस प्रकार की कटौती से प्राप्त होने वाली धनराशि इस मद के अन्तर्गत दर्शायी जाती है। वर्ष 2012-13 में रू0 5.00 लाख के सापेक्ष रू0 2.28 लाख की प्राप्ति हुयी, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 5.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

7 अन्य स्रोत से आय :-

7.1 अनिर्माणशुल्क/सरचार्ज :

यह शुल्क ऐसे भूखण्ड के आवंटियों से लिया जाता है जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भूखण्ड पर भवन का निर्माण नहीं करा पाते हैं। आवंटित भूखण्डों पर नियमानुसार 5 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत भवन निर्माण का कार्य सम्पन्न कराना होता है। इस अवधि में निर्माण न कराने की दशा में नियमानुसार 2 प्रतिशत (प्रति वर्ष) सरचार्ज/लेवी/अनिर्माण शुल्क लेकर भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2012-13 हेतु रू0 130.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 63.57 लाख की प्राप्ति हुयी। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 150.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

7.2 हस्तान्तरण शुल्क/नामान्तरण शुल्क :

यह शुल्क ऐसे भूखण्ड/भवन आवंटियों पर आरोपित किया जाता है जो अपना भूखण्ड/भवन निर्धारित अवधि से पूर्व विक्रय करते हैं लेकिन वर्तमान में शासनादेशानुसार अधिकतर सम्पत्तियों का निस्तारण फ्रीहोल्ड आधार पर किया जा रहा है। जिससे आवंटियों को अपना भवन/भूखण्ड विक्रय करने की अनुमति प्राधिकरण से लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा अपना नाम प्राधिकरण अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु सम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत नामान्तरण शुल्क प्राधिकरण में जमा कराना होता है। वर्ष 2012-13 हेतु रू0 30.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 174.13 लाख की प्राप्ति हुयी। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

7.3 ठेकेदारों की जमानतें /अन्य जमानत :

इस मद के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण एवं विकास आदि कार्यों के देयकों से काटी जाने वाली जमानत, कर्मचारियों से ली जाने वाली जमानत तथा प्राइवेट कालोनाइजरो द्वारा अतिरिक्त विकास कार्य कराये जाने की दशा में जमा की जाने वाली धनराशि को दर्शाया जाता है। इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रू0 700.00 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष रू0 460.65 लाख की प्राप्ति हुयी। निर्माण एवं विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2013-14 हेतु रू0 700.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

7.4 : मोतीझील एवं उद्यानों से आय :

प्राधिकरण द्वारा मोतीझील परिसर में म्यूजिकल फाउंटैन, बाल उद्यान आदि का विकास कराया गया है। इन उद्यानों में प्रवेश हेतु दर्शकों से प्रवेश शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि को इस मद के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। वर्ष 2012-13 हेतु रू0 30.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 35.70 लाख की प्राप्ति हुयी। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 20.00 लाख की आय का प्राविधान किया गया है।

7.5 : बारातशाला /कैन्टीन /वाहन स्टैण्ड आदि

प्राधिकरण में बारातशाला /कैन्टीन /वाहन स्टैण्ड आदि से होने वाली आय इस मद के अन्तर्गत दर्शायी जाती है। वर्ष 2012-13 हेतु रू0 5.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष रू0 6.08 लाख की प्राप्ति हुई। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 6.00 लाख की आय का प्राविधान किया गया है।

8 पंजीकरण :-

वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के भवन/भूखण्ड प्राप्त करने हेतु पंजीकरण खोले गये थे। जिसमें गत वर्ष के प्राविधान रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 11151.60 लाख की प्राप्ति हुयी।

वर्ष 2013-14 हेतु रू0 9000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

10 विविध आय :-

इस मद में सामूहिक बीमा, अर्थदण्ड, डाक्यूमेंटेशन चार्जेज, मेंटीनेन्स चार्जेज आदि से प्राप्त धनराशि सम्मिलित की जाती है। वर्ष 2012-13 हेतु रू0 150.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 107.70 लाख की आय प्राप्त हुयी। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 150.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

पूजींगत प्राप्तियां

11 भूखण्डों/भवनों की बिक्री से आय :-

इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में भूखण्डों/भवनों के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 19980.00 लाख के सापेक्ष रू0 15476.18 लाख की प्राप्ति हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इस मद में रू0 19831.00 लाख की प्राप्ति का प्राविधान किया गया है।

12 अस्थायी अग्रिम समायोजन एवं भण्डार की कटौतियाँ :-

प्राधिकरण द्वारा अभियन्त्रण विभाग तथा स्टोर विभाग के माध्यम से योजनाओं के कार्यों में व्यय हेतु दिये गये अग्रिमों के समायोजन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 1.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान किया गया था। उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2013-14 हेतु रू0 1.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान किया गया है।

13 मशीनरी, उपकरण अन्य यंत्रों आदि की बिक्री :-

प्राधिकरण के पुराने निष्प्रयोज्य मशीनरी, उपकरण, जनरेटर अन्य यंत्र जिनका निस्तारण किया जाना है, जिसके लिये वर्ष 2012-13 में रू0 5.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कोई प्राप्ति नहीं हुई है। अवशेष यंत्रों की प्रस्तावित विक्रय की सम्भावना के दृष्टिगत वर्ष 2013-14 में रूपया 5.00 लाख प्राप्त होना सम्भावित है।

14. ऋणों की प्राप्ति :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कोई ऋण लिया जाना प्रस्तावित नहीं है। तदनुसार इस मद में रू0 1.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान किया गया है।

15. अनुदान एवं अंशदान :-

मॉ0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में भवन निर्माण हेतु शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 3500.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 3150.00 लाख प्राप्त हो चुका है। अवशेष अनुदान प्राप्त होने की सम्भावना के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 250.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

16. डिपाजिट कार्य से आय :-

प्राधिकरण द्वारा अन्य स्थानीय संस्थाओं, सासंद/विधायक निधि, शासकीय संस्थाओं एवं प्राइवेट कालोनी की ओर से डिपाजिट के आधार पर कार्य किया जाता है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 2.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान किया गया है।

17. कर्मचारियों को दिये गये भवन/वाहन अग्रिम की वसूली :-

इस मद में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गये अग्रिम की वसूली हेतु कुल रूपया 40.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 42.65 लाख की वसूली हुयी। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 40.00 लाख की वसूली का प्राविधान रखा गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण व्यय के मुख्य प्रस्तावों पर टिप्पणी

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व एवं पूर्जीगत व्यय मदों हेतु कुल रू0 63442.00 लाख के व्यय के अनुमान के सापेक्ष रू0 21454.69 लाख व्यय हुये। राजस्व एवं पूर्जीगत व्यय मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 84937.00 लाख के व्यय का अनुमान है। राजस्व एवं पूर्जीगत व्ययों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है:-

राजस्व व्यय

18 अधिष्ठान के वेतन भत्ते :-

18.1 वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि :

इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत स्टाफ के वेतन, भत्ते, बोनस, अवकाश नकदीकरण, अवकाश अंशदान, पेंशन अंशदान का प्राविधान किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमान रू0 4300.00 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा छठवें वेतन आयोग के वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के परिणाम स्वरूप बकाये आदि के भुगतान को सम्मिलित करते हुए रू0 4384.71 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रूपये 5000.00 लाख का प्राविधान रखा गया है।

18.2 पेंशन वितरण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली धनराशि :

(नगर निगम से आये अक्रेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों हेतु)

नगर निगम से अक्रेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की सेवायें प्राधिकरण में आमेलित होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन वितरण हेतु प्राधिकरण के सामान्य फण्ड से आवश्यकतानुसार समय-समय पर धनराशि

पेंशन फण्ड में हस्तानान्तरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमान रू0 200.00 लाख के सापेक्ष रू0 210.00 लाख का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

19. प्रकीर्ण व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 750.00 लाख के विरुद्ध रू0 1019.21 लाख व्यय किया गया है। इस लेखा शीर्षक में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रूपये 800.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है। विस्तृत विवरण **पृष्ठ-31** पर संलग्न है।

20. भवनों आदि के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण आदि :-

इस मद के अन्तर्गत भवनों के रख-रखाव, आकस्मिक व्यय, नगर का सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक कार्यकलापों, पार्कों के रख-रखाव एवं माती स्थित प्राधिकरण भवन का सुधार एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु व्यय दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2012-13 में उक्त मदों के अन्तर्गत रू0 699.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 197.07 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 292.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

21.1 कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिम :-

प्राधिकरण के कर्मचारियों/ अधिकारियों को शासनादेशों के अन्तर्गत भवन/वाहन अग्रिम की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमानित व्यय रू0 25.00 लाख के सापेक्ष रू0 23.52 लाख का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 50.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

21.2 स्थाई अग्रिम :- इस मद में इम्प्रेस्ट द्वारा किये गये व्यय दर्शाये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 8.00 लाख के अनुमान के सापेक्ष रू0 2.99 लाख का व्यय हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 10.00 लाख के व्यय का प्राविधान किया गया है।

21.3 चिकित्सा अग्रिम :-

इस मद में अधिकारियों/कर्मचारियों को गम्भीर रोगों के उपचार हेतु अस्पताल से प्राप्त व्ययानुमान के आधार पर अग्रिम दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0 5.00 लाख के व्यय का प्राविधान किया गया है।

22 जमानत की वापसी :-

22.1 ठेकेदारों को जमानत की वापसी :

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत ठेकेदारों के देयकों से काटी जाने वाली नकद जमानती धनराशि को दर्शाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमानित व्यय रू0 600.00 लाख के विरुद्ध रू0 405.93 लाख का व्यय हुआ। आगामी वर्ष 2013-14 हेतु इस मद के अन्तर्गत रू0 600.00 लाख की वापसी का प्राविधान किया जा रहा है।

22.2 भवनों / भूखण्डों की पंजीकरण धनराशि की वापसी :

वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद में रू0 1500.00 लाख की वापसी हेतु किये गये प्राविधान के सापेक्ष रू0 3847.28 लाख की वापसी हुयी। जिसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं विगत वर्षों में संचालित योजनाओं के असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि की वापसी भी सम्मिलित है। वर्ष 2013-14 में गत वर्ष के अवशेष पंजीकरण वापसी की राशि के आधार पर इस मद में रू0 8500.00 लाख के व्यय का प्राविधान किया गया है।

23. करों का भुगतान :-

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण के आयकर की सीमा में आ जाने के कारण आयकर का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेवाकर, वाणिज्य कर, सेस, मनोरंजन कर का भुगतान भी किया जाता है। इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

पूँजीगत व्यय

24 भूमि अध्याप्ति :-

वर्ष 2012-13 में हाईवे सिटी योजना, गंगोत्री योजना एवं अन्य योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिये रू0 10,000.00 लाख का प्राविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष रू0 3144.73 लाख का व्यय हुआ। प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। हाई-वे सिटी योजना, मन्धना-भौती बाईपास, माती तथा गंगोत्री आवासीय योजना के नौ ग्रामों की भूमि अर्जित किये जाने हेतु धारा-4 की कार्यवाही हेतु आवश्यकता की दृष्टिगत एवं अन्य योजनाओं हेतु रू0 30,000.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु किया गया है।

25 सर्वे डिजाइन एवं टेक्निकल कंसलटेंसी :-

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सर्वे डिजाइन एवं टेक्निकल कंसलटेंसी हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

26.1 से 26.2 तक मशीनरी एवं संयंत्र :-

अनाधिकृत रूप से निर्मित बहुमंजिली इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु भारी वाहनों, जीप, स्टाफ कार तथा जनरेटर आदि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस मद के अन्तर्गत रू0 75.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

26.3 नये फर्नीचर, जनरेटर एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

26.4 कम्प्यूटराईजेशन :-

प्राधिकरण के समस्त अनुभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को प्रभावी ढंग से करने एवं जनता तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के उच्चिकरण तथा समस्त लेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 80.00 लाख अनुमानित व्यय के सापेक्ष मात्र रू0 9.44 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस मद में डिजिटलइजेशन का कार्य भी प्रस्तावित है, जिसके फलस्वरूप रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस मद के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर सम्बन्धी व्यय के साथ-साथ उनके रख-रखाव आदि पर किये जाने वाले व्यय भी दर्शाये जाते हैं।

27 विकास कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों हेतु रू0 13797.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रू0 4394.53 लाख का व्यय विकास कार्यों पर किया गया है। विकास कार्यों की अपूर्णता के दृष्टिगत व्यय अपेक्षाकृत कम हुआ है। पूर्व अपूर्ण कार्यों एवं वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित विकास कार्यों के दृष्टिगत रू0 17026.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है। विस्तृत विवरण पृष्ठ संख्या 34-37 पर अवलोकनीय है।

28 इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य :-

इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रू0 1950.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रू0 743.37 लाख का व्यय हुआ। पूर्व कार्यों एवं नये प्रस्तावित कार्यों के दृष्टिगत उक्त मद में रू0 2868.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

29 उद्यानिक विकास एवं सौन्दर्यीकरण :-

इस मद के अन्तर्गत गत वर्ष 2012-13 में रू0 731.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 77.56 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये रूपये 600.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

30 नगर का विशेष विकास :-

30.1 नगर की सड़कों का विकास एवं सुदृढीकरण :

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कानपुर नगर के समग्र विकास हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

30.2 मन्धना भौती बाईपास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 5,000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

30.3 कल्याणपुर विधान सभा के 10 ग्राम का विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 780.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

30.4 सरसैया घाट के सौन्दर्यीकरण के अवशेष कार्य हेतु 2013-14 में रू0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

30.5 स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

31 निर्माण कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7354.00 लाख के सापेक्ष रू0 2050.66 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2013-14 हेतु रू0 11124.00 लाख के व्यय का प्राविधान किया जा रहा है। उक्त धनराशि में मुख्यतः मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय एवं तृतीय चरण) हेतु एवं झींझक के अवशेष कार्यों हेतु रू0 2989.00 लाख एवं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु रू0 7500.00 लाख सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ संख्या 38 पर अवलोकनीय है।

32 डिपॉजिट कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 665.00 लाख के सापेक्ष रू0 156.44 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2013-14 हेतु इस मद में रू0 95.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

32 अस्थाई अग्रिम :-

विकास प्राधिकरण द्वारा जल संस्थान, केस्को, जल निगम आदि से जो कार्य कराये जाते हैं, उनके लिये अग्रिम भुगतान करना होता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमानित व्यय रू0 200.00 लाख के विरुद्ध रू0 46.93 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस कार्य हेतु रुपये 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

33 ऋण की वापसी (शासकीय ऋण) :-

(1) प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासन से प्राप्त ऋण के ब्याज भार से मुक्त होने हेतु शासन की सम्पूर्ण धनराशि (मूलधन) एक मुश्त वापस कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु टोकन के रूप में रू0 1.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

34 ब्याज की वापसी (शासकीय ऋण पर) :-

इस शीर्षक के अन्तर्गत शासन से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज धनराशि को दर्शाया जाता है। शासकीय ऋण के अवशेष मूलधन को एक मुश्त भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ब्याज की देयता शून्य है। वर्ष 2013-14 हेतु टोकन के रूप में रू0 1.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

विक्रय जोन द्वारा प्रस्तावित राजस्व प्राप्तियों के विवरण
वित्तीय वर्ष 2013-14

(रु० लाख में)

क्र० सं०	विवरण	लीज किराया	फ्री-होल्ड	दण्ड ब्याज	अनिर्माण शुल्क	हस्तान्तरण शुल्क	पंजीकरण	योग
1	जोन - 1	60.00	10.00	10.00	20.00	15.00	1000.00	1115.00
2.	जोन - 2	120.00	40.00	60.00	55.00	10.00	2000.00	2285.00
3.	जोन - 3	100.00	25.00	20.00	20.00	5.00	1000.00	1170.00
4.	जोन - 4	200.00	50.00	20.00	45.00	15.00	5000.00	5330.00
5.	विश्व बैंक	18.00	5.00	5.00	10.00	5.00	0.00	43.00
6.	सम्पत्ति	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	योग	500.00	130.00	120.00	150.00	50.00	9000.00	9950.00

प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में किराये पर उठी सम्पत्तियों का विवरण

(रु० लाख में)

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्तियों की कुल संख्या	वर्ष 2013-14 में किराये के रूप में प्राप्त होने वाली सम्भावित धनराशि
1.	प्राधिकरण के किराया पद्धति पर आवंटित क्वार्टर्स/भवन	8423	250.00
2.	किराया पद्धति पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियाँ	106	
3.	प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य को आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित फ्लैट्स/भवन	157	

प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में किराये पर दिये गये भवनों के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण

(रु० लाख में)

सम्पत्तियों की कुल संख्या	वर्ष 2013-14 में विक्रय से प्राप्त होने वाली सम्भावित धनराशि
129	500.00

वित्तीय वर्ष 2013-14 में विक्रय जोनवार सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली
अनुमानित धनराशि

(रु० लाख में)

जोन	भूखण्डों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय	भवनों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय	योग
जोन-1	1200.00	1800.00	3000.00
जोन-2	4000.00	1000.00	5000.00
जोन-3	3000.00	2000.00	5000.00
जोन-4	4000.00	2000.00	6000.00
विश्व बैंक	175.00	46.00	221.00
स्लम/सीवरेज	10.00	0.00	10.00
बेटरमेंट	100.00	0.00	100.00
किराये की सम्पत्ति की बिक्री	0.00	500.00	500.00
योग	12485.00	7346.00	19831.00

18. अधिष्ठान के वेतन तथा भत्ते**(रु० लाख में)**

1. वेतन भत्ते	4600.00
2. बोनस	50.00
3. ग्रेच्युटी	30.00
4. पेंशन अंशदान	320.00

योग— 5000.00**19. प्रकीर्ण व्यय**

1. भूमि का लगान	1.00
2. फर्नीचर मरम्मत	4.00
3. टाइपराइटर एवं उनकी मरम्मत	1.00
4. यूनीफार्म	10.00
5. बिजली	26.00
6. टेलीफोन	15.00
7. पेट्रोल, डीजल, वाहनों का रख-रखाव व अनुबन्धित टैक्सी / जे.सी.बी. किराया,	175.00
8. स्टेशनरी	20.00
9. कानूनी व्यय	30.00
10. कूलर पंखे आदि	20.00
11. बैठक पर व्यय	20.00
12. नगर निगम को देय कर	15.00
13. क्रीड़ा एवं मनोरंजन	2.00
14. कर्मचारी कल्याण	4.00
15. चिकित्सा सुविधा	20.00
16. शिक्षा सुविधा	2.00
17. विज्ञापन एवं प्रचार	150.00
18. यात्रा भत्ता	8.00
19. छपाई व्यय	20.00
20. पुस्तकालय एवं वाचनालय	1.00
21. आडिट फीस	100.00
22. नवीन पुस्तकालय का संचालन	2.00
23. जलकर का मूल्य	10.00
24. कन्सलटेन्सी	18.00
25. डाटा फीडिंग (कम्प्यूटर)	35.00
26. विवेकाधीन कोष	1.00
27. आवास बन्धु का वार्षिक अंशदान	40.00
28. अन्य विविध	50.00

योग—800.00

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तावित
कार्य एक दृष्टि में

क्र०	मद संख्या	कार्य का नाम	धनराशि (रु० लाख में)
1.	29	उद्यानिक विकास एवं सौन्दर्यीकरण (एकता पार्क, गौतम बुद्धा पार्क एवं बाल उद्यान के सिविल कार्य तथा ग्रीन बेल्ट)	600.00
2.	20.4	पार्कों का रखरखाव एवं वृक्षारोपण	205.00

**जोनवार प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्यों का विवरण
(2013-14)**

विकास कार्य

(रूपया लाख में)

क्र०	कार्य / योजना का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान (2013-14)
जोन-1		
1	जोन-1 के अन्तर्गत आने वाली मलिन बस्तियों का विकास।	5.00
2	जाने-1 के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के अवशेष भुगतान।	30.00
3	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य।	20.00
4	जाजमऊ योजना में आशियाना योजना का विकास कार्य।	50.00
5	कैनाल पटरी योजना में विकास कार्य।	5.00
6	महर्षि दयानन्द विहार फेस-1 के एक्सटेंशन योजनाओं को जोड़ने वाली अतिरिक्त सी0सी0 रोड।	5.00
7	योजनाओं को नगर निगम व जल संस्थान को हस्तारतण हेतु।	30.00
8	महर्षि दयानन्द बिहार फेस-1 ई0डब्लू0एस0भूखण्डों का विकास कार्य।	20.00
9	गंगोत्री आवासीय योजना।	25.00
10	सिंहपुर मैनावती मार्ग पर अधिग्रहीत भूमि पर न्यू कानपुर सिटी का विकास कार्य।	30.00
11	जाजमऊ प्रवेश मार्ग का सौदर्यीकरण का विकास कार्य।	150.00
12	जाजमऊ सेक्टर सी ग्राम गज्जू पुरवा कानपुर में सीवर, सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	65.00
13	विनुवापुर इन्द्रानगर के अन्तर्गत विकास कार्य।	5.00
14	महर्षि दयानन्द विहार फेस-2 के अन्तर्गत सड़क, नाली आदि का विकास कार्य।	50.00
15	बुद्धापार्क (मकड़ीखेड़ा) के पीछे सड़क निर्माण कार्य	100.00
16	जोन-1 के अन्तर्गत प्राधिकरण भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।	100.00
योग		690.00
जोन-2		
1	जवाहरपुरम	1400.00
2	रतनपुर	25.00
3	शताब्दी नगर फेस-4	245.00
4	अन्य पुराने कार्य	20.00
5	पनकी गंगागंज	0.00
6	पनकी एफ ब्लॉक हस्तान्तरण हेतु।	500.00

7	शताब्दी नगर योजना फेस-3	450.00
8	अशोक बिहार	0.00
9	पनकी गंगागंज (शताब्दी नगर फेज-2) में 592 भूखण्डों का विकास कार्य	0.00
10	कांशीराम नगर के भूखण्डों का विकास	0.00
11	शताब्दी नगर योजना फेज .5	200.00
12	जोन-2 के अन्तर्गत प्राधिकरण भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।	100.00
योग		2940.00
जोन-3		
1	तात्याटोपे नगर	120.00
2	इस्पात नगर /व्यापार नगर योजना	650.00
3	जरौली आवास योजना फेस प्रथम	20.00
4	जरौली फेस द्वितीय	50.00
5	के0यू0डी0पी0 (प्रेरणा विहार विस्तार सहित)	10.00
6	दबौली वेस्ट	20.00
7	बर्दा आवास योजना	50.00
8	अम्बेदकर नगर	5.00
9	अर्दा बिनगवां आवासीय योजना	5.00
10	खाण्डेपुर आवासीय योजना	20.00
11	डबलू-2 जूही एवं जूही	110.00
12	कैटिल कालोनी	0.00
13	पनकी भाउ सिंह (नये प्रस्तावित)	50.00
14	पनकी ए ब्लॉक (अद्योगिक) की सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	700.00
15	ट्रान्सपोर्ट नगर भाग-3	1000.00
16	अन्य अदृश्य योजनाएँ	10.00
17	नगर के विशेष विकास कार्य	0.00
18	पुरानी कालोनी जो नगर निगम/जलकल विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुई है के रखरखाव हेतु।	40.00
19	न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर पार्ट-1	1800.00
20	यू0पी0यू0डी0पी0	350.00
21	न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर फेस -2 का विकास कार्य।	500.00
22	मौरंग मण्डी के पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	50.00
23	जोन-3 के अन्तर्गत प्राधिकरण भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।	100.00
योग		5660.00

जोन-4		
1	स्वर्ण जयन्ती विस्तार योजना	90.00
2	प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में सुदृढीकरण एवं सुधार कार्य/नगर निगम एवं जल संस्थान को हस्तान्तरित करने के लिये दी जाने वाली धनराशि/गंगापुर मछरिया।	500.00
3	चन्द्र नगरी पार्ट-3	75.00
4	स्वर्ण जयन्ती विहार विस्तार पार्ट-2	1000.00
5	अन्य विविध	15.00
6	ग्राम चकरी की भूमि पर आईटी0 पार्क योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विकास कार्य। (पार्ट-1)	134.00
7	ग्राम चकरी की भूमि पर आईटी0 पार्क योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विकास कार्य।(पार्ट-2)	200.00
8	ग्राम नगवा, सतवरी आदि की 124 हेक्टर भूमि का विकास	2000.00
9	चकरी योजना में वाह्य विकास कार्य के अन्तर्गत इलाहाबाद रोड पर नाले का निर्माण कार्य।	125.00
10	हाईवेसिटी योजना का विकास कार्य।	200.00
11	हाईवेसिटी विस्तार योजना	1700.00
12	चन्द्र नगरी (सनिगवों)	50.00
13	अन्य अदृश्य योजनायें।	25.00
14	कालिन्दी नगर।	90.00
15	मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आन्तरिक विकास कार्य (झींझक)	32.00
16	जोन-4 के अन्तर्गत प्राधिकरण भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।	100.00
योग		6336.00
विकास कार्य का कुल योग		15626.00

अभियन्त्रण खण्ड (विद्युत/यॉत्रिक) द्वारा जोनवार
प्रस्तावित विद्युतीकरण कार्य एक दृष्टि में
वर्ष 2013-14

विकास कार्य

क्र०	कार्य / योजना का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान (2013-14)
1.	विद्युतीकरण प्रस्तावित कार्य(जोन-1)	45.00
2.	विद्युतीकरण प्रस्तावित कार्य(जोन-2)	510.00
3.	विद्युतीकरण प्रस्तावित कार्य(जोन-3)	205.00
4.	विद्युतीकरण प्रस्तावित कार्य(जोन-4)	340.00
5.	अन्य विद्युतीकरण कार्य।	75.00
6.	नलकूप/सम्पवेल के निर्माण/संचालन/अनुरक्षण व विद्युत देयक पर प्रस्तावित व्यय	225.00
	योग	1400.00

निर्माण कार्य

क्र०	कार्य / योजना का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान (2013-14)
जोन-1		
1	जाजमऊ स्थित आशियाना आवास योजना के कार्य।	550.00
2	सिंहपुर मैनावती मार्ग एवं मकड़ी खेड़ा मार्ग पर प्रस्तावित निर्माण कार्य।	50.00
3	बिटूर रोड पर स्थित सुरजा देवी स्कूल के बगल में ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत भवनों का निर्माण/विकास 140 यूनिट	2000.00
4	बिटूर रोड पर स्थित महर्षि दयानन्द बिहार योजना की रिक्त भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत भवनों का निर्माण/विकास 280 यूनिट	4000.00
योग		6600.00
जोन-2		
1	अन्य	0.00
योग		0.00
जोन-3		
1	जरौली फेस द्वितीय	0.00
2	जरौली फेस प्रथम	35.00
3	तात्याटोपे नगर	0.00
4	कम्युनिटी सेन्टर बर्सा	0.00
5	के०डी०ए० कालोनी दादा नगर में ब्लाक 6 से 11 तक छज्जों सृदढीकरण।	0.00
योग		35.00
जोन-4		
1	हाईवेसिटी योजना(ग्रुप हाउसिंग)	1500.00
योग		1500.00
सामान्य निर्माण कार्य का कुल योग		8135.00
मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के निर्माण कार्य		
1	प्रथम चरण	95.00
2	द्वितीय चरण	250.00
3	द्वितीय चरण(झींझक)	144.00
4	तृतीय चरण	2500.00
कुल योग		2989.00

डिपाजिट कार्य

(रूपया लाख में)

क्र०	कार्य / योजना का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान (2013-14)
जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना निर्माण एवं विकास (बी०एस०यू०पी०)		
1	जोन-1	5.00
2	जोन-2	30.00
3	जोन-3	60.00
4	जोन-4	0.00
योग		95.00

अवस्थापना कार्य

(रूपया लाख में)

क्र०	कार्य / योजना का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान (2013-14)
1	जोन-1	1235.00
2	जोन-2	500.00
3	जोन-3	345.00
4	जोन-4	788.00
योग		2868.00

प्राधिकरण का स्टाफ

प्राधिकरण में स्थाई, अस्थायी एवं अधिसंख्य पदों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 1503 है। इसमें विश्व बैंक परियोजना एवं प्रतिनियुक्त पद (न्यायधिकरण राजस्व) के पद सम्मिलित नहीं हैं, के वर्गवार सृजित पद कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	श्रेणी	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत अधि०/कर्म० की संख्या	अनु०जाति/अनु०जनजाति		पिछड़ी जाति		सामान्य जाति	
				अनुमन्य पद	कार्यरत अधि०/कर्म० की संख्या	अनुमन्य पद	कार्यरत अधि०/कर्म० की संख्या	अनुमन्य पद	कार्यरत अधि०/कर्म० की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	23	18	05	05	07	02	11	11
2	ख	56	19	13	06	15	02	28	11
3	ग	503	339	116	59	136	62	251	218
4	घ	921	900	212	153	249	359	460	388
	योग	1503	1276	346	223	407	425	750	628

कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर।

श्रेणी (क)

क्रमांक	पद नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अभियुक्ति
1.	उपाध्यक्ष	37400-67000	01	01	
2.	सचिव	37400-67000	01	01	
3.	अपर सचिव	37400-67000	01	01	
4.	वित्त नियंत्रक	37400-67000	01	01	
5.	मुख्य अभियंता	37400-67000	01	—	
6.	मुख्य वास्तुविद नियोजक	37400-67000	01	01	
7.	संयुक्त सचिव	15600-39100	02	03	इनके विरुद्ध 02 उप नगर आयुक्त कार्यरत है।
8.	विशेष कार्याधिकारी	15600-39100	02	02	
9.	अधि० अभियंता	15600-39100	09	04	
10.	अधि०अभि० (वि०/यॉ०)	15600-39100	01	01	
11.	नगर नियोजक	15600-39100	03	03	
योग			23	18	

श्रेणी (ख)

1.	सहायक नगर अधिकारी / उप सचिव	9300-34800	05	03	
2.	लेखाधिकारी	9300-34800	01	—	
3.	सहायक अभियंता	9300-34800	42	12	
4.	सहा० अभि० (वि०/यॉ०)	9300-34800	04	03	
5.	सहा० न० नियो० / सहा० वास्तु० नियोजक	9300-34800	04	01	
योग			56	19	

श्रेणी (ग)

क्रमांक	पद नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अभियुक्ति
1.	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	01	01	
2.	सहा० विधि अधिकारी	9300-34800	01	—	
3.	जन सम्पर्क अधिकारी	9300-34800	01	—	
4.	कर अधीक्षक	9300-34800	02	—	
5.	अनु सचिव	9300-34800	01	—	
6.	विधि सहायक	9300-34800	01	—	
7.	वास्तुविद नियोजक सहायक	9300-34800	01	—	
8.	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	02	—	
9.	अनुभागीय अधिकारी	9300-34800	02	—	
10.	अवर अभियंता	9300-34800	94	70	
11.	अवर अभियंता (वि०यॉ०)	9300-34800	12	08	
12.	कार्यालय अधीक्षक	5200-20200	05	—	
13.	आशुलिपिक / रिपोर्टर	5200-20200	07	01	
14.	निजी सचिव	5200-20200	01	—	निजी सचिव
15.	सहा० कर अधी० / सहा० सम्पत्ति अधिकारी	5200-20200	01	—	सहा० कर अधी० / सहा० सम्पत्ति अधिकारी
16.	पार्क अधीक्षक	5200-20200	01	—	पार्क अधीक्षक
17.	लेखाकार	5200-20200	09	05	लेखाकार
18.	केयर टेकर	5200-20200	01	—	केयर टेकर
19.	प्रधान लिपिक	5200-20200	09	05	प्रधान लिपिक
20.	रोकड़िया	5200-20200	01	—	रोकड़िया
21.	सहा० रोकड़िया	5200-20200	01	—	सहा० रोकड़िया
22.	सहायक लेखाकार	5200-20200	04	02	एक कर्मचारी मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यरत
23.	नक्शा नवीश	5200-20200	08	06	
24.	कर निरीक्षक	5200-20200	11	05	
25.	पार्क सुपरवाइजर	5200-20200	01	—	

क्रमांक	पद नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अभियुक्ति
26.	निजी सचिव	5200-20200	01	—	
27.	प्रथम श्रेणी लिपिक	5200-20200	50	36	
28.	लेखा लिपिक	5200-20200	19	15	
29.	टेलीफोन आपरेटर	5200-20200	01	01	
30.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	5200-20200	162 (108 स्थाई +35 अस्थाई +19 अधिसंख्य)	126	
31.	अमीन/जिलेदार	5200-20200	41	24	
32.	टैक्स कलेक्टर	5200-20200	04	—	
33.	सर्वेयर	5200-20200	06 (05 स्थाई +01 अधिसंख्य)	09	
34.	ट्रेसर	5200-20200	08	05	
35.	चालक	5200-20200	18	17	
36.	लेखपाल	5200-20200	16	03	
योग			503	339	

श्रेणी (घ)

क्र०	पद नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अभियुक्ति
1.	रोड रोलर चालक	5200-20200	04	02	
2.	वर्क एजेन्ट	5200-20200	01	—	
3.	इलेक्ट्रीशियन	5200-20200	02	01	
4.	कारपेन्टर	5200-20200	01	02	
5.	मेशन	5200-20200	01	01	
6.	वैल्डर	5200-20200	01	01	
7.	प्लम्बर	5200-20200	01	—	
8.	सुपरवाइजर	5200-20200	75 (67 स्थाई+ 08 अस्थाई)	65	
9.	ब्लू प्रिन्टर	5200-20200	02	04	
10.	जमादार/ अर्दली	5200-20200	02	—	
11.	दफ्तरी	5200-20200	11	05	
12.	पम्प आपरेटर	5200-20200	07	07	
13.	पेन्टर	5200-20200	01	—	
14.	प्रधान माली	5200-20200	06	02	
15.	मेट	5200-20200	147 (99 स्थाई+ 33 अस्थाई +15 अधिसंख्य)	174	
16.	हेल्पर	5200-20200	03 (2स्थाई+01 अधिसंख्य)	03	
17.	भिस्ती	5200-20200	01	01	
18.	कोर्ट पैरोकार	5200-20200	12 (10स्थाई +02 अस्थाई)	09	
19.	कुर्सी बुनकर	5200-20200	01	01	
20.	क्लीनर	5200-20200	03	02	
21.	फायरमैन	5200-20200	01	—	
22.	लिफ्टमैन	5200-20200	01	01	
23.	रसोइयों	5200-20200	01	01	
24.	बैरा	5200-20200	01	—	
25.	माली	5200-20200	46	43	

क्र०	पद नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अभियुक्ति
26.	बेलदार	5200-20200	308 (185 स्थाई +120 अस्थाई +03 अधिसंख्य)	315	
27.	गैंगमैन	5200-20200	65 (55 स्थाई +10 अस्थाई)	54	
28.	चपरासी / चैनमैन / चौकीदार / अनुचर / मैसेन्जर / नोटिस सर्वर / प्रोसेस सर्वर	5200-20200	189	189	
29.	सफाई कर्मचारी	5200-20200	21	17	
30.	नायक	5200-20200	01	—	
31.	गार्ड	5200-20200	05	—	
योग			921	900	

प्रतिनियुक्ति के पद

1.	पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकरण)		01	01	
2.	मुन्सरिम रीडर (न्यायाधिकरण)		01	—	
3.	आशुलिपिक (न्यायाधिकरण)		01	—	
4.	लिपिक (न्यायाधिकरण)		01	—	
5.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी		01	—	
6.	उप निदेशक (सम्पत्ति राजस्व)		01	—	
7.	तहसीलदार (राजस्व)		04	03	
8.	नायब तहसीलदार (राजस्व)		08	01	
योग—			18	05	

- नोट—**
1. के०यू०डी०पी० की अवधि दिनांक 31.03.1988 को समाप्त हो चुकी है।
 2. दैनिक वेतन पर बेलदार 01, चपरासी 01 कार्यरत हैं।

